न्यायालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थितः हर्षित सिंह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर

अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या–1175/2026

राम प्रवेश दास वगैरह बनाम् बिहार सरकार

राघोपुर थाना कांड संख्या–115/2026

अधीन धारा–191(2), 193(3), 190, 115(2), 117(2), 352, 351(2), 118(1), 303(2), 74 भारतीय न्याय संहिता।

Web Copy not Official

12-06-2026 आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना। उनके द्वारा एक आवेदन दाखिल कर निवेदित किया गया कि आवेदकगण **राम प्रवेश दास उम्र–56 वर्ष पेसर–कोदई दास, दीपक कुमार उर्फ सतीश कुमार उम्र–28 वर्ष पेसर–राम प्रवेश दास, बब्लु कुमार उम्र–26½ वर्ष पेसर–राम प्रवेश दास, सब्लु कुमार उम्र–25 वर्ष पेसर–राम प्रवेश दास एवं अंकित कुमार उम्र–20 वर्ष पेसर–राम प्रवेश दास** सभी साकिन–मल्लिकपुर थाना–राघोपुर, जिला–वैशाली के तरफ से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन प्रचालित नहीं करना चाहते हैं उसे वापस लेने की अनुमति दी जाय।

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता के उपरोक्त तर्कों से विद्वान लोक अभियोजक सहमत है। उभय पक्षों के तर्कों एवं उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आवेदकगण के तरफ से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन सं0–1175/2026 वापस लिये जाने के आधार पर **खारिज** किया जाता है।

लेखापित

(हर्षित सिंह)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
वैशाली, हाजीपुर।